प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2021*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत अली पुत्र श्री वारिस अली, निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सराफत अली पुत्र श्री वारिस अली जो दर्जिन का पुरवा मजरे-ओरीपुर, थाना-गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी का निवासी है। बन्दी द्वारा आबादी की भूमि को लेकर चल रहे विवाद के कारण दिनांक 23.08.2002 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर एवं फरसा, बांका व गड़ासा से प्रहार कर श्यामलाल नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-450/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 17.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.06.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2020 तक 17 वर्ष 00 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, अमेठी द्वारा बंदी के समयपूर्व रिहा होने की दशा में पीड़ित पक्ष में आक्रोश होने, बंदी के उग्र स्वभाव का होने के कारण पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किए जाने, समाज में दहशत की भावना उत्पन्न होने एवं दोनों पक्षों के मध्य कटुता अभी भी विद्धमान होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सराफत अली (बन्दी संख्या-437/2013) पुत्र श्री वारिस अली, निवासी जनपद-सुल्तानपुर वर्तमान जनपद-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-127/2021/854(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर/अमेठी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in